

-
प्रेस नोट
सराहनीय कार्य जनपद बागपत

दिनांक 18.10.2020

- थाना बालैनी पुलिस द्वारा 25 हजार रुपये का ईनामी वांछित षराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा मय कारतूस नाजायज बरामद।

➤ **पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी खेकडा के नेतृत्व में थाना बालैनी पुलिस द्वारा दिनांक 17.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान समय करीब 20:15 बजे ग्राम डौलचा से वांछित षराब तस्कर 1-टोनू उर्फ सोनू पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम डौलचा थाना बालैनी जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त टोनू के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस नाजायज बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त टोनू उर्फ सोनू थाना बालैनी के मु0अ0सं0 103/2020 धारा 307 भादवि में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत द्वारा 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बालैनी पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ **अभियुक्त का नाम व पता-**

टोनू उर्फ सोनू पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम डौलचा थाना बालैनी जनपद बागपत। (25 हजार रुपये का ईनामी)

➤ **बरामदगी का विवरण :-**

अवैध एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस।

➤ **अभियुक्त टोनू उर्फ सोनू का अपराधिक इतिहास-**

- 1-मु0अ0सं0 152/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 202/2017 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 215/2017 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0सं0 163/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 5-मु0अ0सं0 10/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 6-मु0अ0सं0 16/2019 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 7-मु0अ0सं0 18/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 8-मु0अ0सं0 42/2020 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 9-मु0अ0सं0 103/2020 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 10-मु0अ0सं0 104/2020 धारा 63 आबकारी अधिनियम व 272,273 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत।